

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2014/चैत्र 25, 1936

No. 893]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2014/CHAITRA 25, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2014

का.आ. 1086 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. का.आ. 2599 (अ), तारीख 23-08-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला चन्दौली में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों “दैनिक जागरण” और “हिन्दुस्तान” में तारीख 01 अक्टूबर, 2013 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और, उक्त अधिनियम की धारा, 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी;

और, इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : चन्दौली

क्रम सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि का किस्म	भूमि की प्राकृति	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चन्दौली	(1) हेसामपुर	246 / 15	0.2176	निजी	कृषि	मेवा लाल, रामवृक्ष, पुत्रगण फेकन, रामचन्द्र, राम प्रकाश पुत्रगण सुन्दर,
			246 / 14	0.0845	निजी	कृषि	बेचई पुत्र मोहन, पंचम, रामू, तेरस पुत्रगण सोहन
			246 / 13	0.0910	निजी	कृषि	मेवा लाल, रामवृक्ष, पुत्रगण फेकन, रामचन्द्र, राम प्रकाश पुत्रगण सुन्दर
			246 / 4	0.0280	निजी	कृषि	श्यामरथी देवी पत्नी स्व० महगू, सहतीराम, रामधनी, दुर्गा, शिवमूरत पुत्रगण छेदी, सोमारू, प्यारेलाल पुत्रगण बल्देव, प्रदीप कुमार, उर्फ वकील पुत्र शामू, हीरावती देवी पत्नी स्व० शामू, अजय बा० व विजय बा० उर्म 10 वर्ष पुत्रगण रामू सं० माता खास, निर्मला देवी पत्नी स्व० रामू, श्यामरथी देवी पत्नी स्व० महगू
2		(2) सेंगर	1	0.1766	निजी	कृषि	राजेश कुमार गुप्ता पुत्र आर० के० नरायन गुप्ता बजरिये डाइराक्टर बाबाविश्वनाथ आयरन प्रा० लि०

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7/ई.सी./442]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2014

S.O. 1086 (E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2599 (E), dated the 23rd August 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on dated 23rd August, 2013 (hereinafter referred to as the said notification), under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Chandauli in the State of Uttar Pradesh;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily the Dainik Jagaran, dated 1st October, 2013 and Hindustan, dated 1st October, 2013 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, No objection were received;

And, whereas, in pursuance of sub-sentence (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the District Chandauli for special Railway Project, nemely Eastern Dedicated Freight Corridor in the state of Uttar Pradesh.

Name of the District : Chandauli

Serial Number	Name of District	Name of Village	Survey No.	Area in Hectares	Type of Land	Nature of Land	Name of the Land Owner/ Intrested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Chandauli	Hesampur	246/15	0-2176	Agri	Private	Mewa Lal, Ram Vrikchha S/o Fekan, Ram Chander, Ram Prakash S/o Sunder
			246/14	0-0845	Agri	Private	Bechai S/o Mohan, Puncham, Ramu, Teras S/o Sohan
			246/13	0-0910	Agri	Private	Mewa Lal, Ram Vrikch S/o Fekan, Ram Chander, Ram Prakash S/o Sunder
			246/4	0-0280			Shyamrathi Devi W/o late Manhgu, Sahtiram, Ramdhani, Durga, Shivmurat, S/o Chhedi, Somaru, Pyarelal S/o Baldev, pradeep Kumar Alies Vakeel S/o Samu, Heerawati Devi W/o late Samu, Ajay Kumar, Vijay Kumar Minor age 10 Years S/o Ramu C/o mata khas, Nirmala Devi W/o late Ramu, Shayrathi Devi W/o late Mahngu
2		Sengar	1	0-1766	Agri	Private	Rajesh Kumar Gupta S/o R. K. Narayan Gupta Bajariye Diractor Baba Viswanath Iron Pvt. Ltd.

[F. No. 2013/LML/12/7/EC/442]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities – 1)